न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय जिला ग्वालियर (179)

प्रकरण क्रमांक /2018 ~~निगरानी~~ याचिका)

विविध. 6004/2018/ग्वालियर/भू.रा.

1- निरंजन सिंह पुत्र हल्केराम आयु 45 साल व्यवसाय कृषि

2- शोभाराम पुत्र हरवान आयु 50 साल व्यवसाय कृषि

दोनो निवासीगण ग्राम डबका जिला ग्वालियर

-- -- याचिकाकर्ता ~~निगरानीकर्ता~~

के० के० चतुर्वेदी अधि०
3-10-15
10-10-18
राजस्व मण्डल 3-10-17

बनाम

1- सन्तोष सिंह पुत्र वृन्दावन

निवासी ग्राम ओहदपुर पाही ग्राम डबका जिला ग्वालियर म.प्र.

2- मध्यप्रदेश शासन द्वारा नायब तहसीलदार वृत हस्तिनापुर मुरार, ग्वालियर - प्रत्यर्थीगण

याचिका ~~निगरानी~~ म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा के विरुद्ध आदेश दिनांक 25-8-2018 प्रकरण क्रमांक 10/14-15/अ-70 व उन्वान सन्तोष बनाम शोभाराम आदि के विरुद्ध यह याचिका ~~निगरानी~~ प्रस्तुत की जा रही है ।

- - - -

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 6004/2018/ग्वालियर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-18	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0चतुर्वेदी उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 2 शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक द्वारा यह विविध प्रकरण तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जबकि तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरूद्ध संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार पक्षकार को है । अतः तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा8 के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र सुनवाई योग्य नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	